छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा प्रथम सत्र अंक-11

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी, 2019

(माघ 26, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में सी.आर.पी.एफ. के शहीद जवानों के प्रति शोकोद्‌गार व्यक्त किये।

श्री मोहम्मद अकबर, खाद्य मंत्री, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, सदस्य-श्री धर्मजीत सिंह, डॉ.रमन सिंह, सर्वश्री केशव प्रसाद चंद्रा, मोहन मरकाम एवं श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिये संवेदना प्रकट की गई ।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.14 बजे स्थगित की जाकर 11.21 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 04 (कुल 04) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 16 तारांकित एवं 32 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 04 पर चर्चा के दौरान श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाते हुये सदन से बहिर्गमन किया गया।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि- अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत कार्यसूची में 7 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को शामिल किया गया है । इनमें से क्रमश: प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे । उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा । लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा ।

सदन द्वारा सहमति दी गई ।

(1) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, ने जांजगीर-चांपा जिले में लीलागर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण् हेतु अधिग्रहण की गई कृषकों की जमीन का भुगतान नहीं किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रविन्द्र चौबे, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) डॉ.विनय जायसवाल,सदस्य, ने प्रदेश के दाऊ कल्याण सिंह सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल एवं डॉ.भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री टी.एस.सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

शुक्रवार, 15 फरवरी, 2019

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गये :-

उप पद क्रमांक	**सदस्य**
(3)	सर्वश्री धनेन्द्र साहू, अरूण वोरा
(4)	श्री केशव प्रसाद चंद्रा
(5)	सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, केशव प्रसाद चंद्रा
(6)	श्री बृहस्पत सिंह
(7)	श्री सत्यनारायण शर्मा

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री सौरभ सिंह
(2) श्री सत्यनारायण शर्मा
(3) श्री केशव प्रसाद चंद्रा
(4) श्री यू.डी. मिंज
(5) श्री शैलेष पाण्डेय

अपरान्ह 12.26 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 18 फरवरी, 2019 (माघ-29, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा